



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272022
CG-DL-E-23042026-272022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1964]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1964]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2037(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH52 के कि.मी. 0 से कि.मी.7.6 (Jal Bhavan, Administrative Building, MJP, Near Deogiri College, ITI Road, Vedant Nagar, Chhatrapati Sambhajnagar) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी (भुसंपादन), भाराराप्रा, छ. संभाजीनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत

रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH52 के कि.मी. 0 से कि.मी.7.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: औरंगाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कन्नड					
गांव का नाम: लंगडा तांडा					
1	64	निजी	एग्रीकल्चर	2.2186 (हेक्टेयर)	2.2186
2	79	सामान्य	एग्रीकल्चर	4.709 (हेक्टेयर)	4.709
गांव का नाम: अंधानेर					
3	108	निजी	एग्रीकल्चर	1.4759 (हेक्टेयर)	1.4759
4	110	निजी	एग्रीकल्चर	1.06 (हेक्टेयर)	1.06
5	111	निजी	एग्रीकल्चर	0.0549 (हेक्टेयर)	0.0549
6	112	निजी	एग्रीकल्चर	0.3135 (हेक्टेयर)	0.3135
7	123	निजी	एग्रीकल्चर	1.6308 (हेक्टेयर)	1.6308
8	124	निजी	एग्रीकल्चर	0.7059 (हेक्टेयर)	0.7059
9	125	निजी	एग्रीकल्चर	0.56 (हेक्टेयर)	0.56
10	127	निजी	एग्रीकल्चर	1.5781 (हेक्टेयर)	1.5781
11	128	निजी	एग्रीकल्चर	0.0785 (हेक्टेयर)	0.0785
12	129	निजी	एग्रीकल्चर	0.1165 (हेक्टेयर)	0.1165
13	130	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0751 (हेक्टेयर)	0.0751
14	131	निजी	एग्रीकल्चर	0.6674 (हेक्टेयर)	0.6674

15	132	निजी	एग्रीकल्चर	2.1834 (हेक्टेयर)	2.1834
16	147	निजी	एग्रीकल्चर	0.2077 (हेक्टेयर)	0.2077
17	148	निजी	एग्रीकल्चर	0.7125 (हेक्टेयर)	0.7125
18	41	निजी	एग्रीकल्चर	3.1246 (हेक्टेयर)	3.1246
19	42	निजी	एग्रीकल्चर	1.1753 (हेक्टेयर)	1.1753
20	43	निजी	एग्रीकल्चर	1.8814 (हेक्टेयर)	1.8814
21	44	निजी	एग्रीकल्चर	0.7722 (हेक्टेयर)	0.7722
22	46	निजी	एग्रीकल्चर	1.2419 (हेक्टेयर)	1.2419
23	47	निजी	एग्रीकल्चर	0.2737 (हेक्टेयर)	0.2737
24	48	निजी	एग्रीकल्चर	1.1194 (हेक्टेयर)	1.1194
25	49	निजी	एग्रीकल्चर	0.307 (हेक्टेयर)	0.307
26	51	निजी	एग्रीकल्चर	0.4575 (हेक्टेयर)	0.4575
27	53	निजी	एग्रीकल्चर	0.0702 (हेक्टेयर)	0.0702
28	Road	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.303 (हेक्टेयर)	1.303
गांव का नाम: सातकुंड तांडा (एन. व्ही)					
29	10	निजी	एग्रीकल्चर	1.8838 (हेक्टेयर)	1.8838
30	111	निजी	एग्रीकल्चर	0.6206 (हेक्टेयर)	0.6206
31	112	निजी	एग्रीकल्चर	0.5464 (हेक्टेयर)	0.5464
32	17	सरकारी	एग्रीकल्चर	1.862 (हेक्टेयर)	1.862
33	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.7016 (हेक्टेयर)	0.7016
34	20	निजी	एग्रीकल्चर	0.5392 (हेक्टेयर)	0.5392
35	21	निजी	एग्रीकल्चर	0.632 (हेक्टेयर)	0.632
36	22	निजी	एग्रीकल्चर	0.366 (हेक्टेयर)	0.366
37	23	निजी	एग्रीकल्चर	0.7177 (हेक्टेयर)	0.7177
38	3	निजी	एग्रीकल्चर	0.0375 (हेक्टेयर)	0.0375
39	4	निजी	एग्रीकल्चर	0.0864 (हेक्टेयर)	0.0864
40	51	निजी	एग्रीकल्चर	0.0335 (हेक्टेयर)	0.0335
41	52	निजी	एग्रीकल्चर	0.3858 (हेक्टेयर)	0.3858
42	53	निजी	एग्रीकल्चर	0.256 (हेक्टेयर)	0.256
43	54	निजी	एग्रीकल्चर	0.2858 (हेक्टेयर)	0.2858

44	55	निजी	एग्रीकल्चर	0.2226 (हेक्टेयर)	0.2226
45	57	निजी	एग्रीकल्चर	0.1432 (हेक्टेयर)	0.1432
46	58	निजी	एग्रीकल्चर	0.5537 (हेक्टेयर)	0.5537
47	59	निजी	एग्रीकल्चर	0.2019 (हेक्टेयर)	0.2019
48	62	निजी	एग्रीकल्चर	0.0645 (हेक्टेयर)	0.0645
49	63	निजी	एग्रीकल्चर	0.365 (हेक्टेयर)	0.365
50	7	निजी	एग्रीकल्चर	2.4454 (हेक्टेयर)	2.4454
51	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.5954 (हेक्टेयर)	0.5954
52	85	निजी	एग्रीकल्चर	0.1831 (हेक्टेयर)	0.1831
53	86	निजी	एग्रीकल्चर	2.4558 (हेक्टेयर)	2.4558
54	90	निजी	एग्रीकल्चर	0.0906 (हेक्टेयर)	0.0906
55	91	निजी	एग्रीकल्चर	0.6193 (हेक्टेयर)	0.6193
56	92	निजी	एग्रीकल्चर	0.6241 (हेक्टेयर)	0.6241
57	93	निजी	एग्रीकल्चर	0.3617 (हेक्टेयर)	0.3617
58	94	निजी	एग्रीकल्चर	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
59	Nala/ River	निजी	एग्रीकल्चर	0.2463 (हेक्टेयर)	0.2463
Total					48.203

[फा. सं. AAC/37/2025-26/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2037(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH52 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7.6 (Jal Bhavan, Administrative Building, MJP, Near Deogiri College, ITI Road, Vedant Nagar, Chhatrapati Sambhajnagar) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA NHAI Ch. Sambhajnagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being

heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH52 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7.6 (Jal Bhavan, Administrative Building, MJP, Near Deogiri College, ITI Road, Vedant Nagar, Chhatrapati Sambhajnagar) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: AURANGABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kannad					
Village: Langada Tanda					
1	64	Private	Agriculture	2.2186 (Hectare)	2.2186
2	79	Common	Agriculture	4.709 (Hectare)	4.709
Village: Andhaner					
3	108	Private	Agriculture	1.4759 (Hectare)	1.4759
4	110	Private	Agriculture	1.06 (Hectare)	1.06
5	111	Private	Agriculture	0.0549 (Hectare)	0.0549
6	112	Private	Agriculture	0.3135 (Hectare)	0.3135
7	123	Private	Agriculture	1.6308 (Hectare)	1.6308
8	124	Private	Agriculture	0.7059 (Hectare)	0.7059
9	125	Private	Agriculture	0.56 (Hectare)	0.56
10	127	Private	Agriculture	1.5781 (Hectare)	1.5781
11	128	Private	Agriculture	0.0785 (Hectare)	0.0785
12	129	Private	Agriculture	0.1165 (Hectare)	0.1165
13	130	Government	Agriculture	0.0751 (Hectare)	0.0751
14	131	Private	Agriculture	0.6674 (Hectare)	0.6674
15	132	Private	Agriculture	2.1834 (Hectare)	2.1834
16	147	Private	Agriculture	0.2077 (Hectare)	0.2077
17	148	Private	Agriculture	0.7125 (Hectare)	0.7125
18	41	Private	Agriculture	3.1246 (Hectare)	3.1246

19	42	Private	Agriculture	1.1753 (Hectare)	1.1753
20	43	Private	Agriculture	1.8814 (Hectare)	1.8814
21	44	Private	Agriculture	0.7722 (Hectare)	0.7722
22	46	Private	Agriculture	1.2419 (Hectare)	1.2419
23	47	Private	Agriculture	0.2737 (Hectare)	0.2737
24	48	Private	Agriculture	1.1194 (Hectare)	1.1194
25	49	Private	Agriculture	0.307 (Hectare)	0.307
26	51	Private	Agriculture	0.4575 (Hectare)	0.4575
27	53	Private	Agriculture	0.0702 (Hectare)	0.0702
28	Road	Government	Agriculture	1.303 (Hectare)	1.303
Village: Satkund Tanda (N.V)					
29	10	Private	Agriculture	1.8838 (Hectare)	1.8838
30	111	Private	Agriculture	0.6206 (Hectare)	0.6206
31	112	Private	Agriculture	0.5464 (Hectare)	0.5464
32	17	Government	Agriculture	1.862 (Hectare)	1.862
33	18	Private	Agriculture	0.7016 (Hectare)	0.7016
34	20	Private	Agriculture	0.5392 (Hectare)	0.5392
35	21	Private	Agriculture	0.632 (Hectare)	0.632
36	22	Private	Agriculture	0.366 (Hectare)	0.366
37	23	Private	Agriculture	0.7177 (Hectare)	0.7177
38	3	Private	Agriculture	0.0375 (Hectare)	0.0375
39	4	Private	Agriculture	0.0864 (Hectare)	0.0864
40	51	Private	Agriculture	0.0335 (Hectare)	0.0335
41	52	Private	Agriculture	0.3858 (Hectare)	0.3858
42	53	Private	Agriculture	0.256 (Hectare)	0.256
43	54	Private	Agriculture	0.2858 (Hectare)	0.2858
44	55	Private	Agriculture	0.2226 (Hectare)	0.2226
45	57	Private	Agriculture	0.1432 (Hectare)	0.1432
46	58	Private	Agriculture	0.5537 (Hectare)	0.5537
47	59	Private	Agriculture	0.2019 (Hectare)	0.2019

48	62	Private	Agriculture	0.0645 (Hectare)	0.0645
49	63	Private	Agriculture	0.365 (Hectare)	0.365
50	7	Private	Agriculture	2.4454 (Hectare)	2.4454
51	8	Private	Agriculture	0.5954 (Hectare)	0.5954
52	85	Private	Agriculture	0.1831 (Hectare)	0.1831
53	86	Private	Agriculture	2.4558 (Hectare)	2.4558
54	90	Private	Agriculture	0.0906 (Hectare)	0.0906
55	91	Private	Agriculture	0.6193 (Hectare)	0.6193
56	92	Private	Agriculture	0.6241 (Hectare)	0.6241
57	93	Private	Agriculture	0.3617 (Hectare)	0.3617
58	94	Private	Agriculture	0.0021 (Hectare)	0.0021
59	Nala/ River	Private	Agriculture	0.2463 (Hectare)	0.2463
Total					48.203

[F. No. AAC/37/2025-26/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director